# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 184/2018 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

*हर कंवर बनाम बीजला वगैरा*

पीठासीन अधिकारी –श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस

प्रार्थी वकील – श्री फताराम

**निर्णय** दिनांक – 08.06.2018

पत्रावली न्याय आपके द्वार 2018 लोक अदालत/कोर्ट कैम्प कापराऊ में पेश हुई। प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि सरहद मौजा अब्दुला का तला, पटवार क्षेत्र बूठ राठौड़ान, तहसील चौहटन में खेत खसरा सं. 848/421 रकबा 06.19 बीघा स्थित है। प्रार्थीगण के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थीगण के खेत के पडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थीगण की दरखास्त दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थीगण के वक्त काश्त प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमी की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकार्ड मे दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि सरहद मौजा अब्दुला का तला, पटवार क्षेत्र बूठ राठौड़ान, तहसील चौहटन में खेत खसरा सं. 848/421 रकबा 06.19 बीघा में भूमि की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार चौहटन को रूपये 500/– फीस पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते है कि वो दोनो पक्षो के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते है कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनो पक्षो के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त मे परिवर्तन किये बिना ,मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे । मौका कमीश्नर को आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से पुलिस जाब्ता प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहरीर जारी हो। कमीश्नर को कमीश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे।

कमीश्नर को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थीगण के खसरों की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.06.2018 को न्याय आपके द्वार 2018 लोक अदालत/कोर्ट कैम्प कापराऊ में सुनाया गया।

(भूपेन्द्र कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी,चौहटन

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

दिनांक 13.6.18

क्रमांक/भू.अ./2018/ 1362

**प्रार्थीगण :-**

1. हर कंवर पत्नी भगवानदान, जाति चारण निवासी अब्दुला का तला, तहसील चौहटन जिला बाड़मेर

**विप्रार्थीगण:-**

1 बीजला पुत्र केसरा 2. जोगा पुत्र केसरा 3. कुसली पत्नी केसरा 4. सवाई पुत्र मंगला 5. नीमाराम पुत्र मंगला 6. मेवा पुत्र मंगला 7. चम्पा पुत्र मंगला 8. चांदी पत्नी मंगला 9. समझू पुत्री सोकर 10. बाजू पुत्री साकर 11. गंगा पुत्री साकर 12. बृजमोहन पुत्र साकर 13. हंजारी पुत्र अर्जन 14. प्रागा पुत्र अर्जन जातियान मेघवाल निवासी अब्दुला का तला, तहसील चौहटन 15. खमीशा पुत्र एसान 16. इब्राहिम पुत्र एसान 17. अमीन पुत्र एसान 18. इसलाम पुत्र एसान जातियान मुसलमान, निवासी कोनरा 19. मोहनलाल पुत्र जीवणमल जाति ओसवाल निवासी चौहटन, तहसील चौहटन 20. राजस्थान सरकार जरिये–तहसीलदार चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम वास्ते करने नेखमबंदी बाबत ।

दिनांक : **08.06.2018**

राजस्व आवेदन सं. 184/2018

## आदेश

तहसीलदार चोहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चोहटन, पटवार क्षेत्र बुठ राठौड़ान मौजा अब्दुला का तला के खेत खसरा नंबर 848/421 रकबा 06.09 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार चोहटन को कमिशनर नियुक्त किया जाता है| उक्त विवादित भूमी की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति न हो तो उपरोक्त भूमी की मौके की स्थिति व कब्जा काश्त में परिवर्तन किये बिना पेमाईश कर नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे|

मौका कमिश्नर को आवश्यकता होने पर सम्बंधित पुलिस थाना से पुलिस जाब्ता प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है | कमिश्नर फीस प्रार्थी मौके पर अदा करेंगे | नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों| प्रार्थी कमिशनर को कमिशनर फीस रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे|

(उपेन्द्र कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
चोहटन

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

दिनांक 13.6.18

क्रमांक/भू.अ./2018/ 1363 to 66

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चोहटन
2. प्रार्थीगण हर कँवर पत्नी ~~केसरा~~ भगवानदान
3. विप्रार्थीगण बिजला वगेरा
3. थानाधिकारी पुलिस थाना चोहटन/बीजराड़/सेड़वा/धौरीमन्ना/बाखासर

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी चौहटन